7

Title: Re: Expanding Reservation in Private and Contractual job.

श्री अजय निषाद (मुजफ्फरपुर): सभापति जी, धन्यवाद। भारत के आजाद होने के बाद जितनी सरकारें बनीं, उन सभी सरकारों ने हम भारतीयों को एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण के तहत सभी एससी, एसटी, ओबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को संविधान सम्मत आरक्षण का लाभ दिया। लेकिन, आज परिस्थितियां बदल रही हैं, क्योंकि सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है और साथ ही सरकारी कार्यालयों में भी कांट्रैक्ट पर नौकरियां दी जा रही हैं। इससे विकास की गति तो बढ़ रही है, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को संविधान सम्मत आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि निजी कंपनियों और कांट्रैक्ट नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। इससे स्वाभाविक रूप से एससी, एसटी, ओबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण आरक्षण के लाभ से वंचित हो रहे हैं।

मेरी आपके माध्यम से सरकार मांग है कि प्राइवेट एवं कांट्रैक्ट नौकरियों में भी संविधान सम्मत आरक्षण की व्यवस्था एससी, एसटी, ओबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए सुनिश्चित की जाए।